

अतः संबंधित रैयत को दिनांक 12.12.18 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सभी कागजात अचूक रूप से प्रस्तुत करने हेतु सूचित करे अन्यथा बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 (h) के तहत उक्त जमाबंदी को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

अंचल अधिकारी,
बानो।

संबंधित रैयत को पुनः सूचना देकर दिनांक 27.7.21 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सभी कागजात अचूक रूप से प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें अन्यथा झारखण्ड भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 (h) के तहत उक्त जमाबंदी को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

अभिलेख उपस्थापित नोटिस तामिला प्रिविडेंस प्राप्त हैं जो अभिलेख के साथ संलग्न हैं। राजस्व उपनिरीक्षक के जॉच प्रिविडेंस के अनुसार उक्त भूमि 90 किस्म-बड़ा जंगल है। सरकार के सचिव राजस्व निबंधन भूमिसुधार विभाग झारखण्ड जांपाक 5 को.श. विविध 156/2016-61 पं.रा. संघी दिनांक 21.12.17 के अंतिम निर्देश के कालावधि में संश्लेषण जमाबंदी रद्द की जाती है।

अंचल अधिकारी,
27.7.21 बानो।